

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या-104/2024
राज्य बनाम् मोनु सोनी

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

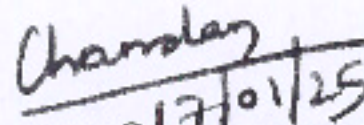
आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

17/01/25

--: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक-480/डी०सी०बी०, दिनांक-16.10.2024 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मोनु सोनी, उम्र करीब 25 वर्ष, पे०-राजु प्रसाद सोनी, सा०-पतरातू बस्ती, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 के तहत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयगत वाद का प्रस्ताव विधानसभा-2024 के विधि व्यवस्था संधारित किए जाने निमित्त भेजी गई है। चूंकि विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो गई है, ऐसी परिस्थिति में वाद की कार्रवाई बिना प्रभावकारी आदेश के इस मंतव्य के साथ समाप्त किया जाता है कि यदि भविष्य में प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका होगी तो पुनः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 के तहत प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।